



Neutral Citation No. - 2026:AHC:61525

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक अपील संख्या - 2960/2026

कलाराम

.....अपीलकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी(गण)

अपीलकर्ता(ओं) के अधिवक्ता : अजय कुमार

प्रतिवादी(ओं) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 90

माननीय न्यायमूर्ति राज बीर सिंह

1. यह आपराधिक अपील धारा 495 बीएनएसएस के तहत दिनांक 17.01.2026 को विद्वान अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ.टी.सी.-प्रथम, सहारनपुर द्वारा आपराधिक विविध मुकदमा संख्या 715/2025 (राज्य बनाम पवन सिंह और अन्य), अंतर्गत धारा 446 सीआरपीसी (491 बीएनएसएस) में पारित आदेश के विरुद्ध दायर की गई है, जिसमें अपीलकर्ता/जमानतदार के खिलाफ जमानत बांड की राशि की वसूली के लिए वसूली वारंट जारी किए गए हैं।
2. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान ए.जी.ए. की दलील सुनी गई और रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।
3. इस अपील का अंतिम निर्णय प्रवेश के चरण में ही किया जा रहा है।
4. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि एस.टी. संख्या 70ए/2018 (राज्य बनाम उस्मान), धारा 489-ए, 489-बी, 489-सी, 489-डी आई.पी.सी. के तहत, पुलिस स्टेशन - देवबंद, जिला - सहारनपुर में, अपीलकर्ता और पवन ने आरोपी उस्मान के लिए जमानत दी थी। उक्त मामले की सुनवाई के दौरान, आरोपी उस्मान फरार हो गया है। अपीलकर्ता/जमानतदार ने उसे गिरफ्तार करवाने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। अवर न्यायालय ने अपीलकर्ता और सह-जमानतदार पवन के खिलाफ धारा 446 दंड प्रक्रिया संहिता / 491 बीएनएसएस के तहत

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



कार्यवाही शुरू की और वसूली वारंट जारी किए। विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि इस बीच अपीलकर्ता की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई है और वह जमानत राशि जमा करने की स्थिति में नहीं है। निवेदन किया गया कि अपीलकर्ता की आर्थिक स्थिति को देखते हुए, उसे धारा 446 दंड प्रक्रिया संहिता / 491 बीएनएसएस के तहत उक्त कार्यवाही से मुक्त कर दिया जाए।

5. विद्वान ए.जी.ए. ने अपील का विरोध किया है और प्रस्तुत किया है कि आक्षेपित आदेश में कोई अवैधता या विकृति नहीं है।

6. मैंने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी हैं और रिकॉर्ड का अवलोकन किया है।

7. आगे बढ़ने से पहले, धारा 491 और 492 बीएनएसएस के प्रावधानों का अवलोकन करना प्रासंगिक होगा, जो धारा 446 और 446-ए सीआर.पी.सी. का पुनः स्वरूप हैं, जो इस प्रकार हैं:

"491. प्रक्रिया जब बांड जब्त कर लिया गया हो।-(1) जहां,-

इस संहिता के तहत कोई बांड किसी न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने या संपत्ति प्रस्तुत करने के लिए है और उस न्यायालय या किसी ऐसे न्यायालय, जिसमें मामला बाद में स्थानांतरित किया गया है, को यह सिद्ध हो जाता है कि बांड जब्त कर लिया गया है; या

(ख) इस संहिता के अधीन किसी अन्य बांड के संबंध में, यदि बांड लेने वाले न्यायालय, या बाद में मामला स्थानांतरित किए गए किसी न्यायालय, या प्रथम श्रेणी के किसी मजिस्ट्रेट के न्यायालय को यह सिद्ध हो जाता है कि बांड जब्त हो गया है,

तो न्यायालय ऐसे प्रमाण के आधार दर्ज करेगा और ऐसे बांड से बंधे किसी भी व्यक्ति को जुर्माना अदा करने या जुर्माना न अदा करने का कारण बताने के लिए कह सकता है।

स्पष्टीकरण: किसी न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने या संपत्ति प्रस्तुत करने के लिए बांड में दी गई शर्त को बाद में मुकदमा स्थानांतरित किए गए किसी न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने या संपत्ति प्रस्तुत करने की शर्त के रूप में समझा जाएगा।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

(2) यदि पर्याप्त कारण न बताया जाए और जुर्माना अदा न किया जाए, तो न्यायालय उसे इस प्रकार वसूल कर सकता है मानो वह जुर्माना इस संहिता के अधीन लगाया गया कोई जुर्माना हो:

बशर्ते कि यदि ऐसा जुर्माना अदा न किया जाए और उपरोक्त तरीके से वसूल न किया जा सके, तो न्यायालय द्वारा जुर्माना वसूल करने का आदेश दिए जाने पर, जमानतदार को दीवानी कारागार में छह महीने तक की कैद हो सकती है।

(3) न्यायालय, ऐसा करने के कारण दर्ज करने के बाद, उल्लिखित जुर्माने के किसी भाग को माफ कर सकता है और केवल आंशिक भुगतान ही लागू कर सकता है।

(4) यदि किसी बांड के ज़ब्त होने से पहले जमानतदार की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी संपत्ति बांड के संबंध में सभी दायित्वों से मुक्त हो जाएगी।

(5) जहाँ कोई व्यक्ति जिसने धारा 125 या धारा 136 या धारा 401 के तहत ज़मानत दी है, किसी ऐसे अपराध का दोषी पाया जाता है जिसका किया जाना उसके बांड की शर्तों का उल्लंघन है, या धारा 494 के तहत उसके बांड के बदले निष्पादित बांड का उल्लंघन है, तो न्यायालय के उस निर्णय की प्रमाणित प्रति, जिसके द्वारा उसे ऐसे अपराध का दोषी ठहराया गया है, इस धारा के तहत उसके ज़मानतदार या ज़मानतदारों के विरुद्ध कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में प्रयोग की जा सकती है, और यदि ऐसी प्रमाणित प्रति का प्रयोग किया जाता है, तो न्यायालय यह मान लेगा कि ऐसा अपराध उसके द्वारा किया गया था, जब तक कि इसके विपरीत सिद्ध न हो जाए।

“492. बांड और ज़मानत बांड का निरस्तीकरण। - धारा 491 के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जहाँ इस संहिता के तहत किसी मामले में किसी व्यक्ति की उपस्थिति के लिए बांड या ज़मानत बांड है और वह किसी शर्त के उल्लंघन के कारण ज़ब्त हो जाता है,-



(क) ऐसे व्यक्ति द्वारा निष्पादित बांड और साथ ही, यदि कोई हो, उस मामले में उसके एक या अधिक जमानतदारों द्वारा निष्पादित बांड निरस्त हो जाएगा; और

(ख) इसके बाद, यदि पुलिस अधिकारी या न्यायालय, जैसा भी मामला हो, जिसके समक्ष बांड निष्पादित किया गया था, इस बात से संतुष्ट हो कि बांड से बंधे व्यक्ति द्वारा उसकी शर्त का पालन न करने का कोई पर्याप्त कारण नहीं था, तो ऐसे किसी भी व्यक्ति को केवल अपने स्वयं के बांड पर रिहा नहीं किया जाएगा:

बशर्ते कि इस संहिता के किसी अन्य प्रावधान के अधीन रहते हुए, उसे ऐसे मामले में एक नए व्यक्तिगत बांड पर, ऐसी धनराशि और एक या एक से अधिक ऐसे जमानतदारों द्वारा निष्पादित किए जाने पर रिहा किया जा सकता है, जैसा कि पुलिस अधिकारी या न्यायालय, जैसा भी मामला हो, पर्याप्त समझे।”

8. मूलतः, धारा 491 बीएनएसएस आरोपी द्वारा बांड के उल्लंघन के लिए जमानतदारों से संबंधित है, जबकि धारा 492 बीएनएसएस बांड (व्यक्तिगत बांड) की ज़बती पर आरोपी द्वारा भुगते जाने वाले परिणामों से संबंधित है।

आरोपी के जमानतदारों के संबंध में, जमानतदारों को अलग से नोटिस जारी किया जाना आवश्यक है ताकि वे कारण बता सकें कि उन्हें जुर्माना क्यों नहीं देना चाहिए और यदि वे कारण बताने में असमर्थ रहते हैं, तो न्यायालय बीएनएसएस/सीआरपीसी के तहत लगाए गए जुर्माने की तरह ही जुर्माना वसूलने की कार्यवाही कर सकता है। अतः, धारा 491 बीएनएसएस के तहत कार्रवाई करने के लिए, जमानतदारों को नोटिस जारी किया जाना चाहिए और एक अलग कार्यवाही में यह सिद्ध किया जाना चाहिए कि आरोपी ने जमानत बांड का उल्लंघन किया है ताकि जमानतदार जमानत राशि का भुगतान कर सकें।

9. इस मामले में, ऐसा प्रतीत होता है कि एस.टी. संख्या 70ए/2018 (राज्य बनाम उस्मान) में, धारा 489-ए, 489-बी, 489-सी, 489-डी भारतीय दंड संहिता के तहत, पुलिस स्टेशन - देवबंद, जिला - सहारनपुर में, अपीलकर्ता और पवन ने आरोपी उस्मान के लिए जमानत दी है और

अस्वीकरण: “अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



उन्होंने एक लाख रुपये का जमानत बांड जमा किया है। उक्त मामले की सुनवाई के दौरान, आरोपी उस्मान फरार हो गया। ट्रायल कोर्ट ने धारा 446 सीआर.पी.सी. / 491 बीएनएसएस के तहत कार्यवाही शुरू की और आक्षेपित आदेश द्वारा ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ता/जमानतदार से एक लाख रुपये की वसूली के लिए वसूली वारंट जारी किए। यह प्रस्तुत किया गया कि अपीलकर्ता की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। धारा 446 (3) सीआर.पी.सी. / 491 (3) बीएनएसएस के तहत, न्यायालय को जमानत बांड की जब्ती पर लगाए गए जुर्माने के किसी भी हिस्से को माफ करने का अधिकार है। मौजूदा तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, ऐसा प्रतीत होता है कि जमानत बांड की राशि पर लगाए गए जुर्माने को कम किया जाना चाहिए। मामले के सभी तथ्यों पर विचार करते हुए, ऐसा प्रतीत होता है कि यदि जुर्माने की राशि को 50% तक कम कर दिया जाए तो न्याय के हित में होगा।

10. तदनुसार, अपीलकर्ता/जमानतदार को आज से 45 दिनों की अवधि के भीतर संबंधित ट्रायल कोर्ट में 50,000/- रुपये की राशि जमा करने का निर्देश दिया जाता है। आज से 45 दिनों की अवधि के लिए, अपीलकर्ता के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। उक्त राशि जमा करने पर, ट्रायल कोर्ट के समक्ष लंबित धारा 446 सीआरपीसी/491 बीएनएसएस के तहत आपराधिक विविध मुकदमा संख्या 715/2025 (राज्य बनाम पवन और अन्य) के तहत अपीलकर्ता/जमानतदार के खिलाफ कार्यवाही समाप्त हो जाएगी।

11. अपील का निस्तारण उपरोक्त शर्तों के अनुसार किया जाता है।

(राज बीर सिंह, न्यायमूर्ति)

25 मार्च, 2026

एस. रावत

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"